बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.7.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। वास्ते निर्णय पत्रावली वास्ते दिनांक 29/7/19 को पेश हो।	
29/7/19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 10 ओ के मु.नं. 36 में 6.199 हैक. नहरी मय खाला में से 0.310 हैक. नहरी मय खाला भूमि मघी पुत्री प्रभुराम जाति मेघवाल के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत रकबा पैतृक भूमि है। कब्जा काश्त वसीयतनुसार है। यह है कि रकबा रहन / कर्ज नहीं है। यह है कि रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है। यह है कि उक्त रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। यह है कि रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित / अवाप्त नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 1646 दिनांक 19/3/19 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति / एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई। जो समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 24/3/2019 के पृष्ठ संख्या 5 पर कॉलम संख्या 6 पर प्रकाशित हुई है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति / एतराज प्राप्त नहीं हुये है। वसीयत में दर्ज गवाहान	

Scanned by CamScanner

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	श्री कृष्णलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी 42 F और अशोककुमार पुत्र देशराज जाति ब्राह्मण के बयानातनुसार वसीयतकर्ता मघी पुत्री पुसुराम जाति मेघवाल ने वसीयत अपने जीवनकाल में पूरे होस-हवास में, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव / उत्पीड़न के लिखवाई है। वसीयतकर्ता ने वसीयत अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और रजामंदी से लिखवाई है। मौके पर कब्जा काश्त मंगूराम और कुम्भाराम का है। मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। गवाहान के बयानातनुसार यदि वसीयत क्रियान्वित कर दी जावे तो उचित होगा।
	पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। रिपोर्ट पटवारी अनुसार रकबा खातेदारी कर्ज राजस्व जमाबंदी है। प्रश्नगत रकबा वसीयतकर्ता मघी पुत्री पुसुराम द्वारा धारित रकबा पृथक भूमि है। प्रश्नगत रकबा रहन / बेय नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित / अवाप्त नहीं है। इस कार्यालय द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति / एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना, समाचार पत्र सीमा संदेश के अंक दिनांक 24/10/19 को प्रकाशित की गई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति / एतराज प्राप्त नहीं हुये है। गवाहान के बयानातनुसार वसीयतकर्ता मघी पुत्री पुसुराम द्वारा वसीयत पूरे होस-

न

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	हवास में, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव/उत्पीडन के स्वत्पाचित मन से लिखवाई है। वसीयत अपनी पूर्ण स्वेच्छा व रजामंदी से निष्पादित करवाई है। मौके पर कब्जा कारत मांगूराम व कुम्भाराम का ही है और मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय खुले न्यायालय मजमे आम में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को राजस्व अभिलेख में वसीयतानुसार अमल-दरामद करने हेतु अन्तर्गत धारा 135(1) LR Act के तहत राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद हेतु पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार श्रीकरणपुर	